



आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>

ई.मेल-hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2705471

क्रमांक:-एफ.1(01)स्था/आकाशि/ई-पेंशन/2021/933

दिनांक:- 29.06.2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय:- पेंशन प्रपत्रों को ऑन-लाईन 'ई-पेंशन' के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु।

सन्दर्भ:- पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र प 5 (311)निपेवि/नियम/2019/पार्ट-II/1894-H
दिनांक 20.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पेंशन कुलकों के ऑनलाईन/सरलीकरण हेतु वित्त विभाग के निर्देशों की पालना में विकसित किये गये ऑन-लाईन मॉड्यूल 'ई-पेंशन' के माध्यम से ही दिनांक 01.07.2022 से सभी नवीन पेंशन प्रकरण स्वीकार किये जायेंगे एवं ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही निस्तारित किये जायेंगे। दिनांक 01.07.2022 एवं उसके पश्चात् के सभी नवीन पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग की वेबसाइट www.pension.raj.nic.in पर ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही भिजवाये जायेंगे।

अतः सभी कार्यालयध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित कार्मिक द्वारा पेंशन प्रकरणों को उपरोक्तनुसार ऑनलाईन ही भिजवाया जावे।

पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण एवं संशोधित (Revision) पेंशन प्रकरण पूर्व की भाँति ऑफलाईन ही भिजवाये जायेंगे।

संलग्न:- पेंशन विभाग का पत्र।

(डॉ० आरु०सी० मीना)

संयुक्त निदेशक (HRD)

कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर।

क्रमांक:-एफ.1(01)स्था/आकाशि/ई-पेंशन/2021/933

दिनांक: 29.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

(डॉ० आरु०सी० मीना)

संयुक्त निदेशक (HRD)

कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर।



राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष नं. 0141-2740538, 2741687
वेबसाईट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

भीम

क्रमांक :- प.5(311) निपेवि/नियम/ 2019/पार्ट II/1894 - H

दिनांक :- 20-06-22


परिपत्र

समस्त विभागाध्यक्ष,

पेंशन कुलक के ऑनलाईन/सरलीकरण हेतु वित्त विभाग के निर्देशों की पालना में विकसित किये गये मोड्यूल से ही 01.07.2022 से सभी नवीन पेंशन प्रकरण स्वीकार किये जायेंगे एवं ई-पेंशन मोड्यूल के माध्यम से ही निस्तारित किये जायेंगे। अतः कृपया सभी विभागाध्यक्ष 01.07.2022 एवं उसके पश्चात समस्त नवीन पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग की वेबसाइट www.pension.raj.nic.in पर ई-पेंशन मोड्यूल के माध्यम से ऑनलाईन ही भिजवाना सुनिश्चित कराने का श्रम करें। साथ ही निवेदन है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पेंशन प्रकरणों को भी उपरोक्तानुसार ऑनलाईन ही भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।

ऑनलाईन पेंशन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रियात्मक जानकारी यूजर मनुअल (User Manual) के रूप में इस विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में तकनीकी प्रशिक्षण सभी विभागों को पेंशन निदेशालय द्वारा दिया जा चुका है।

पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण एवं संशोधित (Revision) पेंशन प्रकरण पूर्व की भाँति ऑफलाईन ही भिजवाये जायें।


(संजय सोलंकी) 20/6/2022
निदेशक

दिनांक :-

क्रमांक :- प.5(311) निपेवि/नियम/ 2019/पार्ट II/
प्रतिलिपि :-

1. शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) / (मुख्यालय) / (नियम) कार्यालय हाजा।
4. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
5. उप महानिदेशक/वरिष्ठ उपनिदेशक एन.आई.सी.।
6. उप निदेशक कम्प्यूटर शाखा कार्या. हाजा।
7. निजी सचिव निदेशक पेंशन कार्या. हाजा।

अतिरिक्त निदेशक (नियम)